सीनियर, जूनियर निरीक्षक मॉडल लागू

कोहेफिजा थाने में दो टीआई संभालेंगे जिम्मेदारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी के कोहेफिजा थाने में अब दो निरीक्षक एक साथ जिम्मेदारी संभालेंगे। हाल ही में पदस्थ किए गए निरीक्षक लोकेंद्र सिंह ठाकुर के साथ एक अन्य निरीक्षक भी थाने में पदस्थ रहेंगे। इनमें एक सीनियर और एक जूनियर टीआई के रूप में कार्य करेंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य बड़े थाना क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण और पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है।

पुलिस विभाग द्वारा यह मॉडल पहले इंदौर में लागू किया गया था, जहां इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए। इसके बाद भोपाल में भी इस व्यवस्था को अपनाया जा रहा है। हाल ही में निशातपुरा और हबीबगंज जैसे बड़े थाना क्षेत्रों में भी दो-दो निरीक्षकों की तैनाती की गई है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार राजधानी के कई थाना क्षेत्र भौगोलिक रूप से काफी बड़े हैं और जनसंख्या के साथ अपराध का दबाव भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में एक थाना प्रभारी के लिए कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, विवेचना और जनसुनवाई जैसे सभी कार्यों को प्रभावी ढंग से संभालना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।नई व्यवस्था के तहत दोनों निरीक्षकों के बीच कार्यों का विभाजन किया जाएगा। इससे अपराधों की निगरानी, लंबित मामलों के निराकरण, गश्त व्यवस्था और जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान में मदद मिलेगी। पुलिस विभाग को उम्मीद है कि दो टीआई मॉडल से बड़े थाना क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की स्थिति और बेहतर होगी।

गढ़ा धन और सस्ते सोने का झांसा देकर किसान से एक लाख की ठगी

नप्र, भोपाल : राजधानी के सूखी सेवनिया थाना क्षेत्र में गढ़ा धन और सस्ते सोने का लालच देकर सागर जिले के एक किसान से एक लाख रुपये ठगने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

पुलिस के अनुसार सागर जिले के गढ़कोटा थाना क्षेत्र के खैरीनबादा निवासी 21 वर्षीय राजा चढ़ार के खेत में भोपाल के परवलिया क्षेत्र के कुछ बेलदार कुआं खोदने का काम कर रहे थे। इसी दौरान आरोपियों ने किसान को विश्वास में लेते हुए दावा किया कि खुदाई के दौरान उन्हें सोने का बिस्कुट मिला है, जिसे वे कम कीमत पर बेचना चाहते हैं। किसान का भरोसा जीतने के लिए आरोपियों ने उसे सोने का एक छोटा टुकड़ा जांच के लिए दिया।

रिटायर्ड मेजर जनरल की शिकायत पर

एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष पर 25 लाख की धोखाधड़ी का मामला दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन अली खान के खिलाफ 25 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। यह शिकायत सेना से सेवानिवृत्त मेजर जनरल मदन मोहन सिंह ने पुलिस से की है।

आरोप है कि मकान के रेनोवेशन का ठेका लेने के बाद लाखों रुपये प्राप्त किए गए, लेकिन निर्धारित कार्य पूरा नहीं किया गया। शिकायत के अनुसार अप्रैल 2024 में मेजर जनरल सिंह ने अपने मकान के नवीनीकरण का कार्य मोहसिन अली खान को सौंपा था। शुरुआत में काम तेजी से हुआ और करीब 8 लाख रुपये का निर्माण कार्य भी किया गया। इसके बाद आरोपी ने विभिन्न निर्माण कार्यों और सामग्री की जरूरत बताकर किश्तों में कुल 33 लाख रुपये तक की राशि प्राप्त कर ली। हालांकि समय बीतने के साथ काम की गति धीमी होती गई और नवंबर 2024 के बाद निर्माण कार्य पूरी तरह बंद हो गया।

पीड़ित का आरोप है कि कई बार संपर्क करने और काम पूरा कराने के प्रयास किए गए, लेकिन न तो निर्माण कार्य पूरा किया गया और न ही भुगतान की गई राशि का स्पष्ट हिसाब दिया गया। इसके बाद जनवरी 2025 में पुलिस से शिकायत की गई। जांच के दौरान दस्तावेजों और भुगतान संबंधी रिकॉर्ड की पड़ताल में सामने आया कि लगभग 20 लाख रुपये के काम के मुकाबले केवल आंशिक कार्य किया गया, जबकि करीब 25 लाख रुपये की राशि का संतोषजनक हिसाब नहीं मिला।

वहीं मोहसिन अली खान ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि यह मामला राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है। उनका कहना है कि बिना उनका पक्ष सुने मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

खेल सुविधाओं का जायजा लेने साई सीआरसी भोपाल पहुँचे संयुक्त सचिव

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः भारत सरकार के खेल विभाग के संयुक्त सचिव आर. विनील कृष्णा ने साई के केंद्रीय क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी) भोपाल का दौरा कर खेल अवसंरचना, खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं और प्रशिक्षण व्यवस्थाओं की समीक्षा की।

क्षेत्रीय निदेशक अभिषेक सिंह चौहान ने उनका स्वागत करते हुए केंद्र की उपलब्धियों, खिलाड़ी विकास कार्यक्रमों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। संयुक्त सचिव ने खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और अधिकारियों से संवाद कर प्रशिक्षण एवं स्पोर्ट्स साइंस सुविधाओं का निरीक्षण किया। दौरे के दौरान उन्होंने राज्य अश्वारोहण अकादमी, अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी, लोअर लेक स्थित फील्ड ऑफ प्ले तथा अपर लेक स्थित राज्य रोइंग अकादमी का भी भ्रमण किया। विभिन्न अकादमियों में खिलाड़ियों की तैयारी, प्रशिक्षण अवसंरचना और सहायता सेवाओं की समीक्षा करते हुए प्रदर्शन सुधार के उपायों पर चर्चा की। दौरे का समापन टीटी नगर स्टेडियम में हुआ, जहां खेल सुविधाओं और स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का निरीक्षण किया गया। यह दौरा खेल अवसंरचना और खिलाड़ी विकास के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

गृह मंत्रालय के अफसर के घर 5 लाख की चोरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी के कोलार थाना क्षेत्र स्थित दानिशकुंज डीके-1 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के घर चोरी की वारदात सामने आई है। अज्ञात बदमाश सूने मकान को निशाना बनाकर करीब 5 लाख रुपए के जेवरात चोरी कर ले गए। घटना के समय परिवार महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन गया हुआ था। परिवार के लौटने पर चोरी का पता चला, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।

पुलिस के अनुसार दानिशकुंज निवासी अरुण कुमार राय केंद्रीय गृह मंत्रालय में वरिष्ठ पद पर कार्यरत हैं, जबकि उनकी पत्नी ममता राय भाजपा की वरिष्ठ नेत्री हैं। परिवार गुरुवार को उज्जैन गया था। इसी दौरान देर रात करीब 3 से 5 बजे के बीच बदमाशों ने मकान में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने अलमारी का लॉक तोड़कर उसमें रखे जेवरात चोरी करह्र लिए।

चोरी की इस घटना में खास बात यह रही कि घर में रखे आईपैड, लैपटॉप और अन्य कीमती इलेक्ट्रॉनिक सामान को हाथ तक नहीं लगाया गया। बदमाश केवल जेवरात लेकर फरार हो गए। शुक्रवार सुबह जब घर पर काम करने वाली नौकरानी पहुंची तो उसे चोरी की जानकारी लगी। इसके बाद परिवार को सूचना दी गई और पुलिस को मामले से अवगत कराया गया।

ममता राय के मुताबिक घर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में दो संदिग्ध बाइक सवार नजर आए हैं। हालांकि अंधेरा होने के कारण उनके चेहरे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। भाजपा नेत्री के भतीजे विजय कुमार की शिकायत पर कोलार थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

नीट परीक्षा आज, 32 केंद्रों पर 13,774 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा

ट्रैफिक एडवाइजरी और सख्त गाइडलाइन जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट यूजी) रविवार, 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित होगी। राजधानी में परीक्षा के लिए 32 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 13 हजार 774 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन और यातायात पुलिस ने विशेष तैयारियां की हैं।

नगरीय यातायात पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करते हुए परीक्षार्थियों को समय से पहले घर से निकलने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। मेट्रो निर्माण कार्य के कारण कुछ प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। आनंद नगर परीक्षा केंद्र जाने वाले अभ्यर्थियों को चेतक ब्रिज, गोविंदपुरा, भेल और पिपलानी मार्ग का उपयोग करने की सलाह दी गई है, जबकि गौतम नगर स्थित केंद्र के लिए नादरा बस स्टैंड, छोला गणेश मंदिर और जेपी ब्रिज मार्ग से पहुंचने की व्यवस्था सुझाई गई है।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के निर्देशानुसार परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, ईयरफोन सहित किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा से पहले सभी केंद्रों पर मॉक ड्रिल कर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का परीक्षण किया जाएगा।इस वर्ष भोपाल में परीक्षार्थियों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 560 कम हुई है। पिछले वर्ष 14,334 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, जबकि इस बार यह संख्या 13,774 है। एक केंद्र पर यूपीएससी परीक्षा आयोजित होने के कारण केंद्रों की संख्या भी 33 से घटाकर 32 कर दी गई है। यातायात संबंधी किसी भी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 7049104825, 7049104640 तथा व्हाट्सएप नंबर 7587602055 जारी किए गए हैं।

युवक ने एसिड पीकर दी जान

नप्र, भोपाल : राजधानी के करोंद क्षेत्र में एक युवक द्वारा एसिड पीने के बाद मौत का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि पूर्व मंगेतर द्वारा निजी फोटो साझा किए जाने के कारण युवक की दो शादियां टूट गईं, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान था। इसी तनाव के चलते उसने यह कदम उठाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। निशातपुरा थाना क्षेत्र की रतनपुर कॉलोनी निवासी 24 वर्षीय लखन किरार चौक बाजार स्थित एक गारमेंट्स दुकान में सेल्समैन के रूप में कार्यरत था। परिवार ने 10 मई को उसकी शादी तय की थी। शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं और निमंत्रण पत्र भी वितरित किए जा चुके थे। इसी बीच शादी टूट गई। परिजनों के अनुसार, शादी से कुछ दिन पहले लखन का अपनी पूर्व मंगेतर से दोबारा संपर्क हुआ था। आरोप है कि युवती ने उसका निजी फोटो नई मंगेतर के परिवार तक पहुंचा दिया, जिसके बाद तय विवाह टूट गया। इससे पहले भी एक रिश्ता टूट चुका था। लगातार वैवाहिक रिश्ते टूटने से लखन मानसिक तनाव में रहने लगा था। परिवार का आरोप है कि शादी टूटने के बाद लखन अपनी पूर्व मंगेतर के साथ विदिशा गया था, जहां दोनों कुछ दिन साथ रहे।

यूपीएससी से टकराव के बाद एमपीपीएससी ने बदला मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2025 के कार्यक्रम में संशोधन करते हुए नया परीक्षा कार्यक्रम जारी किया है। अब मुख्य परीक्षा 8 अगस्त से 13 अगस्त 2026 तक आयोजित की जाएगी। आयोग ने यह निर्णय संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तारीखों से टकराव की स्थिति को देखते हुए लिया है।

आयोग द्वारा पूर्व में जारी कार्यक्रम के अनुसार मुख्य परीक्षा 17 अगस्त से 22 अगस्त तक प्रस्तावित थी। हालांकि अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई थी कि परीक्षा के अंतिम दो प्रश्नपत्र संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तारीखों से मेल खा रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा 21 अगस्त से शुरू हो रही है, जबकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के दो प्रश्नपत्र 21 और 22 अगस्त को निर्धारित थे। इससे दोनों परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को कठिनाई होती।अभ्यर्थियों की मांग के बाद आयोग ने शनिवार को बैठक आयोजित कर कार्यक्रम में बदलाव का निर्णय लिया। आयोग ने परीक्षा को आगे बढ़ाने के बजाय पहले आयोजित करने का फैसला किया, ताकि उम्मीदवार दोनों परीक्षाओं में बिना किसी परेशानी के शामिल हो सकें।

आयोग के विशेष कार्याधिकारी रविंद्र पंचभाई ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। न्यायालय ने परीक्षा परिणाम बंद लिफाफे में प्रस्तुत करने की शर्त के साथ परीक्षा कराने की अनुमति दी है।

संशोधित कार्यक्रम के अनुसार मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 जून से शुरू होगी और 15 जुलाई तक चलेगी। विलंब से आवेदन करने वालों को 16 जुलाई से 22 जुलाई तक तीन हजार रुपये अतिरिक्त शुल्क तथा 23 जुलाई से 27 जुलाई तक 25 हजार रुपये विशेष विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। प्रवेश पत्र 3 अगस्त से उपलब्ध होंगे।

छोला मंदिर में सूने मकान से 50 हजार की चोरी

नप्र, भोपाल : छोला मंदिर थाना क्षेत्र के मल्टी भानपुर में अज्ञात बदमाशों ने प्रदीप शाह के मकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी घर से 50 हजार रुपए नकद सहित अन्य सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक घायलः अयोध्या नगर बायपास रोड पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने जगदीश पाटीदार को टक्कर मार दी। हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया।

ट्रैक्टर की टक्कर से युवक अस्पताल पहुंचाः मिसरोद थाना क्षेत्र के 11 मील अंडरब्रिज के पास ट्रैक्टर चालक मयंक विश्वकर्मा की कथित लापरवाही से हुए हादसे में तरुण कुमार दतवारी घायल हो गए। दुर्घटना के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

किराना व्यापारी से लूट का खुलासा, दुकान के नौकर ने ही रची थी साजिश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः शाहजहाँनाबाद पुलिस ने किराना व्यापारी से दो लाख रुपये की लूट की वारदात का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि वारदात की साजिश व्यापारी की दुकान में काम करने वाले नौकर ने ही रची थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक लाख रुपये नगद, घटना में प्रयुक्त चाकू और वाहन बरामद किया है।

पुलिस के अनुसार प्रभुनगर ईदगाह हिल्स निवासी किराना व्यापारी दिलीप आरतवानी 16 जून की रात दुकान बंद कर करीब दो लाख रुपये एक्टिवा की डिक्की में रखकर घर जा रहे थे। देवीबाई धर्मशाला के पास सड़क पर गड्ढा आने से उन्होंने वाहन धीमा किया। तभी स्कूटी सवार तीन युवकों ने उनकी गाड़ी रोक ली। एक आरोपी ने गर्दन पर चाकू अड़ाकर जान से मारने की धमकी दी, जबकि दूसरे ने डिक्की खोलकर दो लाख रुपये निकाल लिए। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पांच विशेष टीमें गठित कर जांच शुरू की। पुलिस ने 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और तकनीकी साक्ष्यों व मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपियों की पहचान की। जांच में सामने आया कि व्यापारी की दुकान में काम करने वाले नौकर ने ही रकम की जानकारी आरोपियों को दी थी और लूट की पूरी योजना बनाई थी। पुलिस ने प्रेम शर्मा (20) निवासी छोला और अभिषेक पंथी (20) निवासी भानपुर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से एक लाख रुपये नगद, चाकू और वारदात में प्रयुक्त वाहन बरामद किया गया है।

प्रताप नगर से एक्टिवा चोरी

नप्र, भोपाल : छोला मंदिर थाना क्षेत्र के प्रताप नगर स्थित 80 फीट रोड से कमलेश धावरे की होंडा एक्टिवा (एमपी-04 एनएक्स-2056) चोरी हो गई। वाहन घर के बाहर खड़ा था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर वाहन और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

170 किलो गांजा, ट्रक समेत 1.33 करोड़ का माल जब्त

नप्र, भोपाल : क्राइम ब्रांच भोपाल ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 170 किलो 90 ग्राम गांजा, एक आइशर ट्रक और 396 एल्यूमीनियम सिल्लियां जब्त की हैं। जब्त मशरुका की कुल कीमत 1.33 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कोलार क्षेत्र के गोल जोड़ तिराहे के पास एक आइशर ट्रक में बड़ी मात्रा में गांजा रखा हुआ है और चालक इसकी डिलीवरी के लिए किसी का इंतजार कर रहा है। पुलिस ने ट्रक चालक आनंद बैरागी (23) निवासी ग्राम हथवास, तहसील सतवास, जिला देवास को हिरासत में लेकर वाहन की तलाशी ली। ट्रक में रखी छह प्लास्टिक बोरियों से कुल 170 किलो 90 ग्राम गांजा बरामद हुआ। इसके अलावा ट्रक से 396 एल्यूमीनियम सिल्लियां भी मिलीं, जिन पर 'NALCO' अंकित है।

कार्यालय राजस्व निरीक्षक कोलार, तहसील-कोलार जिला भोपाल
क्रमांक Q/2026
भोपाल, दिनांक: 19/06/2026
सूचना पत्र (वास्ते बंटान)
प्रति, 1.श्रीमती किरण वर्मा पत्नी श्री अनुराग वर्मा नि.श्यामला हिल्स भोपाल। 2. श्री नरेन्द्र सिंह ठाकुर पिता श्री बाबूलाल ठाकुर नि. बैतुल। 3. सुनीता श्रीवास्तव पत्नी स्व. श्री संतोष श्रीवास्तव नि. भोपाल। 4. सुषमा ठाकरे पत्नी सुरेश ठाकरे नि. इण्डस टाऊन होशंगाबाद रोड़ भोपाल। सर्वसाधारण एवं समस्त हितबद्ध पक्षकारों को सूचनार्थ। **विषय :**-बटांन किये जाने बाबत् सूचना पत्र। **संदर्भ :**- न्यायालय तहसीलदार, तहसील कोलार जिला भोपाल के रा.प्र.क्र. 0125/अ-3/2025-26 दिनांक के संबंध में। उपरोक्त विषयांतर्गत ग्राम छान प.ह.नं. 02 रा.नि.मं. वृत्त 01 तहसील कोलार जिला भोपाल की भूमि खसरा क्रमांक-468/18 रकबा 0.0210 हे. हेक्टेयर कुल रकबा 0.0210 हेक्टेयर जो कि आवेदक/आवेदिका श्री नागेन्द्र प्रसाद वर्मा पिता/पति श्री वंशमणी प्रसाद वर्मा निवासी सी-140 विद्या नगर होशंगाबाद रोड़ भोपाल। के नाम से है, का बटांन संदर्भित प्रकरण में राजस्व निरीक्षक कोलार, तहसील-कोलार जिला भोपाल द्वारा दिनांक 26/06/26 को समय 2:30 PM बजे किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इस हेतु आप लोग मौके पर बटांन के समय उपस्थित रहे। यदि सूचना पत्र तामीली उपरांत आप लोग अनुपस्थित रहते है तो बटांन कार्य आपकी अनुपस्थिति की दशा में स्थगित नहीं किया जावेगा। अत्यावश्यक शासकीय कार्य होने की स्थिति में बटांन की दिनांक में परिवर्तन किया जा सकता है। पड़ोसी भूमिस्वामी के पता स्पष्ट न होने से आवेदक स्वयं के व्यय पर उक्त सूचना पत्र का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में करा सकता है।
राजस्व निरीक्षक
तहसील कोलार जिला भोपाल
679

कार्यालय राजस्व निरीक्षक कोलार, तहसील-कोलार जिला भोपाल
क्रमांक Q/2026
भोपाल, दिनांक: 19/06/2026
सूचना पत्र (वास्ते बंटान)
प्रति, 1.श्रीमती किरण वर्मा पत्नी श्री अनुराग वर्मा नि.श्यामला हिल्स भोपाल। 2. श्री नागेन्द्र प्रसाद वर्मा पिता श्री वंशमणी प्रसाद वर्मा नि. विद्या नगर भोपाल। 3. श्रीमती सुनीता श्रीवास्तव पत्नी स्व. श्री संतोष श्रीवास्तव नि.भोपाल। 4. बी.के.शर्मा पिता ए.आर.शर्मा नि. एम.पी.ई.बी. सारणी बैतुल। सर्वसाधारण एवं समस्त हितबद्ध पक्षकारों को सूचनार्थ। **विषय :**-बटांन किये जाने बाबत् सूचना पत्र। **संदर्भ :**- न्यायालय तहसीलदार, तहसील कोलार जिला भोपाल के रा.प्र.क्र. 0124/अ-3/2025-26 दिनांक के संबंध में। उपरोक्त विषयांतर्गत ग्राम छान प.ह.नं. 02 रा.नि.मं. वृत्त 02 तहसील कोलार जिला भोपाल की भूमि खसरा क्रमांक-468/17 रकबा 0.0160 हे. हेक्टेयर कुल रकबा 0.0160 हेक्टेयर जो कि आवेदक/आवेदिका श्री नरेन्द्र सिंह ठाकुर पिता/पति श्री बाबूलाल ठाकुर निवासी बैतुल के नाम से है, का बटांन संदर्भित प्रकरण में राजस्व निरीक्षक कोलार, तहसील-कोलार जिला भोपाल द्वारा दिनांक 26/06/26 को समय 2:00 PM बजे किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इस हेतु आप लोग मौके पर बटांन के समय उपस्थित रहे। यदि सूचना पत्र तामीली उपरांत आप लोग अनुपस्थित रहते है तो बटांन कार्य आपकी अनुपस्थिति की दशा में स्थगित नहीं किया जावेगा। अत्यावश्यक शासकीय कार्य होने की स्थिति में बटांन की दिनांक में परिवर्तन किया जा सकता है। पड़ोसी भूमिस्वामी के पता स्पष्ट न होने से आवेदक स्वयं के व्यय पर उक्त सूचना पत्र का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में करा सकता है।
राजस्व निरीक्षक
तहसील कोलार जिला भोपाल
678

कार्यालय राजस्व निरीक्षक कोलार, तहसील-कोलार जिला भोपाल
क्रमांक Q/2026
भोपाल, दिनांक: 19/06/2026
सूचना पत्र (वास्ते बंटान)
प्रति, 1.श्री नागेन्द्र प्रसाद वर्मा पिता श्री वंशमणी प्रसाद वर्मा नि. विद्यानगर भोपाल 2. श्री नरेन्द्र सिंह ठाकुर पिता बाबूलाल ठाकुर नि. बैतुल। 3. सुषमा ठाकरे पत्नी सुरेश ठाकरे नि. इण्डस टाऊन होशंगाबाद रोड़ भोपाल। 4. गीता जालान पत्नी के.के. जालान नि. 3/305 अरेरा कॉलोनी भोपाल। सर्वसाधारण एवं समस्त हितबद्ध पक्षकारों को सूचनार्थ। **विषय :**-बटांन किये जाने बाबत् सूचना पत्र। **संदर्भ :**- न्यायालय तहसीलदार, तहसील कोलार जिला भोपाल के रा.प्र.क्र. 0126/अ-3/2025-26 दिनांक के संबंध में। उपरोक्त विषयांतर्गत ग्राम छान प.ह.नं. 02 रा.नि.मं. वृत्त 01 तहसील कोलार जिला भोपाल की भूमि खसरा क्रमांक-468/19 रकबा 0.0210 हे. हेक्टेयर कुल रकबा 0.0210 हेक्टेयर जो कि आवेदक/आवेदिका श्रीमती किरण वर्मा पिता/पति श्री अनुराग वर्मा निवासी सिविल लाईन लोधी मेडिकल श्यामला हिल्स भोपाल के नाम से है, का बटांन संदर्भित प्रकरण में राजस्व निरीक्षक कोलार, तहसील-कोलार जिला भोपाल द्वारा दिनांक 26/06/26 को समय 3:00 PM बजे किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इस हेतु आप लोग मौके पर बटांन के समय उपस्थित रहे। यदि सूचना पत्र तामीली उपरांत आप लोग अनुपस्थित रहते है तो बटांन कार्य आपकी अनुपस्थिति की दशा में स्थगित नहीं किया जावेगा। अत्यावश्यक शासकीय कार्य होने की स्थिति में बटांन की दिनांक में परिवर्तन किया जा सकता है। पड़ोसी भूमिस्वामी के पता स्पष्ट न होने से आवेदक स्वयं के व्यय पर उक्त सूचना पत्र का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में करा सकता है।
राजस्व निरीक्षक
तहसील कोलार जिला भोपाल
677

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-1, गोमंतिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल
आम सूचना
हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, गुलमोहर, ग्रीन मेडोज, अरेरा हिल्स, भोपाल में स्थित फ्लेट क्रमांक-02 एच.आई.जी., डी-टाईप मण्डल द्वारा श्री ज्ञानेन्द्र कुमार उर्फ ले. कर्नल ज्ञानेन्द्र कुमार आत्मज श्री प्रमोद कुमार शर्मा के नाम से आवंटित हैं। उक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख पंजीयन पंजीयक कार्यालय से दिनांक 24/08/2011 को पंजीकृत है। श्री ज्ञानेन्द्र कुमार उर्फ ले. कर्नल ज्ञानेन्द्र कुमार आत्मज श्री प्रमोद कुमार शर्मा द्वारा उक्त सम्पत्ति का मुख्तारआम श्री रितेश कुमार शर्मा आत्मज श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा को नियुक्त कर दिनांक 05/01/2026 को पंजीकृत किया गया है। उक्त मुख्तारग्रहिता द्वारा उक्त सम्पत्ति श्रीमती शमीम नाज पत्नी श्री इकराम उर रहीम मंसूरी को विक्रय विलेख के माध्यम से विक्रय कर दिया है। जिसका विक्रय विलेख का पंजीयन पंजीयक कार्यालय में दिनांक 31/03/2026 को निष्पादित करा दिया है। क्रेता/विक्रेता के मुख्तारग्रहिता द्वारा आवेदन, शपथ पत्र, संयुक्त शपथ पत्र, परिचय पत्र, विक्रय विलेख की छायाप्रति एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त सम्पत्ति श्रीमती शमीम नाज पत्नी श्री इकराम उर रहीम मंसूरी के नाम उक्त सम्पत्ति हस्तांतरण हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किये है। उक्त दस्तावेजों के आधार पर उक्त सम्पत्ति के हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। यदि उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/संस्था/वित्तीय संस्था इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।
सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म. प्रक्षेत्र-1 भोपाल
676

आम सूचना
आवासीय प्लाट क्रं.-80, ग्राम लाम्बाखेडा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के संबंध में :-
सर्व साधारण को यह सूचित किया जाता है कि कु. रामरती ठाकुर पुत्री श्री बलराम सिंह ठाकुर, निवासी-ए-49, एलिक्जिर गार्डन, बाईपास रोड, करोंद, भोपाल के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक किता प्लाट क्रं.-80, जो कि खसरा क्रं.-24/2/2/1(s) का अंश भाग होकर ग्राम लाम्बाखेडा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 801 वर्गफिट अर्थात 74.44 वर्गमीटर है, उक्त संपत्ति को क्रय करने हेतु मेरे पक्षकार नें टोकन राशि अदा कर सौदा पक्का किया है, उक्त संपत्ति पर यदि किसी भी व्यक्ति, संस्था, सोसायटी, समिति, बैंक, वित्तीय संस्थान, शासकीय/अशासकीय विभाग का हित व अधिकार, गिरवी या बंधक होतो वह इस प्रकाशन से 07 दिवस के भीतर मेरे नीचे उल्लेखित पते पर अपनी आपत्ति दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ स्वंय या अपने अभिभाषक के साथ प्रस्तुत करें अन्यथा मेरा पक्षकार उपरोक्त संपत्ति का पंजीयन अपने पक्ष में करवाने हेतु स्वतंत्र रहेगा व समयावधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी, इति ।
सुनील कुमार जैन,अधिवक्ता
कार्यालय-'आर. के. जैन लॉ चेम्बर ' 67, आदर्श हास्पटिल के पास, थाना रोड, शाहजहानाबाद, भोपाल-462001 (म.प्र.) मो.नं. 9131859720
675

कार्यालय राजस्व निरीक्षक कोलार, तहसील-कोलार जिला भोपाल
क्रमांक Q/2026 भोपाल,
दिनांक: 19/06/2026
सूचना पत्र (वास्ते सीमांकन)
प्रति, 1. शाहिस्ता खान पत्नी साजिदउल्ला खान नि. दीपड़ी भोपाल। 2. नयनतारा महेश्वरी, उर्मिला, रूकमणी पुत्रियॉ एस.एन. महेश्वरी नि. भोपाल 3. राधा माहेश्वरी पुत्र एस.एन. महेश्वरी, अवधेश पुत्र नयनतारा माहेश्वरी नि भोपाल। 4. सचिन सहगल पुत्र अशोक कुमार सहगल नि. भोपाल। 5. ग्राम कोटवार। 6. सर्वसाधारण एवं समस्त हितबद्ध पक्षकारो को सूचनार्थ। **विषय** :- सीमांकन किये जाने बाबत् सूचना पत्र । **संदर्भ** :-न्यायालय तहसीलदार, तहसील कोलार जिला भोपाल के रा.प्र.क. /अ-12/2026-27 दिनांक के संबंध में। उपरोक्त विषयांतर्गत ग्राम दीपडी प.ह.नं. 04 रा.नि.मं. वृत्त 01 तहसील कोलार जिला भोपाल की भूमि खसरा क्रमांक 41/3/1/1 रकबा 0.1861 हे. हेक्टेयर कुल रकबा 0.1861 हेक्टेयर जो कि आवेदक/आवेदिका श्री मनमोहन पाटीदार पिता/पति श्री लक्ष्मीनारायण पाटीदार व अन्य निवासी मिसरोद भोपाल। के नाम से है, का सीमांकन संदर्भित प्रकरण में राजस्व निरीक्षक कोलार, तहसील-कोलार, जिला भोपाल द्वारा दिनांक 26/06/26 को समय 1:00 PM बजे किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इस हेतु आप लोग मौके पर सीमांकन के समय उपस्थित रहे। यदि सूचना पत्र तामीली उपरांत आप लोग अनुपस्थित रहते है तो सीमांकन कार्य आपकी अनुपस्थिति की दशा में स्वनित नहीं किया जावेगा। अत्यावश्यक शासकीय कार्य होने की स्थिति में सीमांकन की दिनांक में परिवर्तन किया जा सकता है। पड़ोसी भूमिस्वामी के पता स्पष्ट न होने से आवेदक स्वयं के व्यय पर उक्त सूचना पत्र का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में करा सकता है।
राजस्व निरीक्षक
तहसील कोलार जिला भोपाल
674

कार्यालय राजस्व निरीक्षक रा.नि.मं. 03 बैरागढ़ चीचली तहसील कोलार जिला भोपाल (म.प्र.)
आवेदन क. 0228RD 51-APP-28818625
ग्राम का नाम: गेंहूखेडा
प.ह.नं. 10, तहसील कोलार, जिला भोपाल
सूचना-पत्र
प्रति, 01. नगर पालिका नगर निगम भोपाल म.प्र. 02. श्री गोरेलाल पुत्र श्री रामचंद मीना, निवासी ग्राम गेंहूखेडा तहसील कोलार जिला भोपाल म.प्र. । 03. राजवेद गृह निर्माण सह समिति मर्यादित भोपाल द्वारा अध्यक्ष श्री रामसिंह पुत्र श्री हल्कू सिंह खातेदार ग्राम गेंहूखेडा तहसील कोलार जिला भोपाल म.प्र. । 04. सर्व साधारण एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारगण। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री गोरेलाल पुत्र श्री रामचंद मीना निवासी-ग्राम-गेंहूखेडा तहसील कोलार जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा ग्राम गेंहूखेडा प.ह.नं. 10 तहसील कोलार जिला भोपाल (म.प्र.) स्थित भूमि खसरा क्रमांक 522 रकबा 0.0400 हे. कुल खसरा नंबर 01 कुल रकबा 0. 0400 हे. भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदित उक्त भूमि का सीमांकन मेरे द्वारा दिनांक 24/06/2026 को समय प्रातः 11:00 बजे स्थल पर किया जावेगा। पड़ोसी खातेदार होने के कारण एवं उक्त सीमाकन से कोई आपत्ति हो तो नियत दिनांक एवं समय पर स्थल पर भूमि के स्वत्व संबंधी एवं आनुषांगिक दस्तावेज सहित उपस्थित रहकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है। अनुपस्थिति की दशा में सीमांकन कार्य रोका नहीं जावेगा। बाद प्रस्तुत आपत्ति विचार योग्य नहीं होगी। अत्यावश्यक शासकीय कार्य होने की स्थिति में सीमांकन की दिनांक में परिवर्तन किया जा सकता है। पड़ोसी भूमिस्वामी का पता स्पष्ट न होने से आवेदक स्वयं के व्यय पर उक्त सूचना पत्र का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में कराया जा सकता है। आज दिनांक 16.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।
राजस्व निरीक्षक
तहसील कोलार जिला भोपाल
673

कार्यालय तहसीलदार तहसील कोलार जिला भोपाल
क्रमांक/तह.को/रीडर/2026
भोपाल दिनांक 19/06/2026
प्रकरण कमांक /अ-3/2026-2027
ग्राम बावड़ियांकलां
इश्तेहार
एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती कला वर्मा पत्नी श्री हंसकुमार वर्मा निवासी बी-220 शाहपुरा भोपाल द्वारा ग्राम बावडियाकलां स्थित खसरा क्रमांक 9/2/16/1 के अंश भाग पर रकबा 0.0500 हे. भूमि का बटान हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त बटान के आवेदन के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को उक्त बटान के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तेहार के जारी होने के दिनांक से सात दिवस के भीतर इस न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत करें समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 19.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालीन मुद्रा से जारी किया गया।
तहसीलदार
तहसील कोलार जिला भोपाल
672